

उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में मनोविज्ञान विषय में प्राध्यापकों के सृजित, कार्यरत एवं रिक्त (रिक्त एवं सम्भावित रिक्त) पदों का विवरण								
(स्थानान्तरण वर्ष 2026-27)								
क्र० स०	जनपद	प्रास्थिति	महाविद्यालय	विषय	सृजित पद	कार्यरत नियमित	रिक्त	सम्भावित रिक्त
1	अल्मोड़ा	दुर्गम	हुकुम सिंह बोरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोमेश्वर	मनोविज्ञान	1	1	0	0
2	चम्पावत	दुर्गम	स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट	मनोविज्ञान	1	1	0	0
3	देहरादून	सुगम	राजकीय महाविद्यालय देहरादून शहर	मनोविज्ञान	1	0	1	0
4	देहरादून	सुगम	शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला	मनोविज्ञान	3	3	0	3
5	हरिद्वार	सुगम	राजकीय महाविद्यालय भूपतवाला	मनोविज्ञान	1	1	0	1
6	नैनीताल	सुगम	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वी	मनोविज्ञान	1	1	0	1
7	नैनीताल	सुगम	इन्दिरा प्रियदर्शिनी राजकीय महिला स्नातकोत्तर वाणिज्य महाविद्यालय हल्द्वानी	मनोविज्ञान	1	1	0	1
8	नैनीताल	सुगम	मोतीराम बाबूराम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी	मनोविज्ञान	5	5	0	3
9	नैनीताल	सुगम	पी०एन०जी० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर	मनोविज्ञान	4	4	0	3
10	नैनीताल	दुर्गम	पीडित पूर्णानन्द तिवारी राजकीय महाविद्यालय दोषापानी चौखुटा	मनोविज्ञान	1	1	0	0
11	पिथौरागढ़	दुर्गम	सन्त नारायण स्वामी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायणनगर	मनोविज्ञान	1	1	0	0
12	टिहरी गढ़वाल	सुगम	धर्मानन्द उनियाल राजकीय महाविद्यालय नरेन्द्र नगर	मनोविज्ञान	2	0	2	0
13	टिहरी गढ़वाल	दुर्गम	राजकीय महाविद्यालय थल्यूड	मनोविज्ञान	1	1	0	1
14	उधम सिंह नगर	सुगम	सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर	मनोविज्ञान	2	2	0	1
15	उत्तरकाशी	दुर्गम	राजकीय महाविद्यालय ब्रह्मखाल	मनोविज्ञान	1	1	0	0
योग					26	23	3	14

नोट :-

1. 'वरिष्ठ कार्मिक' श्रेणी में आने वाले कार्मिकों के पदों को सम्भावित रिक्तियों से पृथक नहीं किया गया है। स्थानान्तरण हेतु कार्मिक अधिनियम में वर्णित व्यवस्थानुसार नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं।
2. दिनांक 31.05.2026 तक रिक्त होने वाले पदों को शुद्ध रिक्त पदों की श्रेणी में रखा गया है।
3. सम्भावित रिक्त पदों का तात्पर्य अनिवार्य स्थानान्तरण में पात्र कार्मिकों के स्थानान्तरण होने की दशा से है।
4. शुद्ध रिक्त पद का तात्पर्य स्थानान्तरण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के लिए रिक्त पद से है।
5. सम्भावित रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है।
6. विनियमित कार्मिकों के सेवा इतिहास की गणना उनके विनियमितीकरण की तिथि से की गयी है। (तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों को छोड़कर)
7. स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 20 (क) एवं 20 (ख) में वर्णित व्यवस्थानुसार दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती पर प्रोत्साहन स्थानान्तरण आवेदन करने पर देय होगा।